राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

प्रार्थनापत्र संख्या :– 99/2021 (पूराना) **दायर तारीख 12.10.2021(पूराना)**
प्रार्थनापत्र संख्या :– 154/2023 (नया) **दायर तारीख 23.01.2023(नया)**

अनवान

07. कैलाश पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
08. किशनलाल पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
09. गीता पुत्री ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
10. निर्मला पुत्री ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
11. मदनलाल पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
12. रामसुखी पत्नि स्व. ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

..................प्रार्थी

बनाम

09. कमली पुत्री देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
10. गोपाललाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
11. जीतमल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
12. नानी पुत्री देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
13. मांगीलाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
14. रामकन्या पुत्री देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
15. आईसीआईसीआई बैक लिमिटेड शाखा बिजौलियां जरिये प्रबन्धक बिजौलियां।
16. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता अप्रार्थीगण/विपक्षी

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :– 11/09/2025**

पत्रावली न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा अपील संख्या 182/2022 पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 99/21 निर्णय दिनांक 09.06.2022 को पारित निर्णय को निरस्त करते हुए विधिवत तामील व साक्ष्य सुनवाई करवाकर निर्णय पारित करने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को प्रतिप्रेषित की गई। पत्रावली को दिनांक 23.01.2023 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को सम्मन/तामील जारी की गई। विपक्षीगणों की और से अधिवक्ता गिरधारी लाल आचार्य ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में स्थित हैं। जिसके आराजी नम्बर 1552 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

 118

हैं। विपक्षी की भूमि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द में आराजी नम्बर 1547 रकबा 1.2869 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं खातेदार केसर देवी की मृत्यु हो चुकी हैं उसके विधिक वारीसान विपक्षी संख्या 1 से 6 हैं जो आराजी नम्बर 1547 रकबा 1.2869 हैक्टेयर के खातेदार हैं। प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1552 रकबा 0.1862 हैक्टेयर जो कि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द में स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि आराजी नं0 1539 किस्म गे0मू0 रास्ते से होता हुआ विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1547 रकबा 1.2869 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की मेड पर होता हुआ आगे प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1552 में पहुंचता है। इसका उपयोग प्रार्थीगण व उनके पूर्व खातेदार भी करते आ रहे है इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। इस रास्ते से प्रार्थीगण पैदल आने जाने के अतिरिक्त सजबेल ट्रेक्टर आदि लेकर आते जाते रहे हैं। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर रखा हैं।

प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण की स्वामित्व की ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द में स्थित खातेदारी आराजी नम्बर 1552 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1547 रकबा 1.2869 हैक्टेयर में से 15 फीट चौड़ा रास्ता उपयोग करने हेतु प्रदान कराया जावें। एवं गे0मू0 रास्ता नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों की और से अधिवक्ता गिरधारीलाल आचार्य का अधिकार पत्र पेश होने पर जवाब के स्तर पर रखा गया। विपक्षी अधिवक्ता की तरफ से दिनांक 04.09.2024 को विस्तृत जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब में बताया की धारा 251अ के तहत सरल एवं सुगम रास्ता प्रार्थीगण के मांगने पर नहीं दिया जा सकता है एवं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपूर्ण तथ्य पेश किए अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् तहसीलदार बिजौलियां को मौका रिपोर्ट बाबत् तहरीर जारी की गई जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार बिजौलियां की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके तथ्य निम्नानुसार है:–

भू०अ०नि० बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का बिजौलियां खुर्द की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय बिजौलियां के प्र.सं. 154/2023 (99/21 पुराना) कैलाश पुत्र ऊंकार धाकड नि० थडोदा वगैराह बनाम कमली पुत्री देबीलाल धाकड नि० थडोदा वगैरह में स्पष्ट जांच रिपोर्ट हेतु वादीगण व प्रतिवादीगण को सूचित कर ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नं0 1552 पर पहुंच मार्ग हेतु मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा निम्नानुसार रास्ते हेतु भूमि बतायी गयी:–

4. वादीगण द्वारा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी नं0 1552 रकबा 0.1862 है० भूमि में पहुंचने हेतु रिकार्ड में दर्ज बिलानाम गैर मु० रास्ता आ०नं० 1539 से प्रतिवादीगण की भूमि आ0नं0 1547 रकवा 1.2869 है0 की दक्षिणी गेड पर होते हुए रास्ता चाहा गया जिसकी रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित की गई। उक्त आराजी में रास्ते हेतु 0.0324 है० भूमि बनती है। **उक्त रास्ते की लम्बाई 232 फीट है।**
5. प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम बिजौलियां खुर्द की आ0नं0 1477 रकबा 0.1457 है० गेमु० रास्ता बिलानाम से स्वयं की आराजी नं0 1550 रकबा 0.0728 है० की उत्तरी मेड पर दिये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी नं0 1477 रकबा 0.1457 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गेमु० रास्ता दर्ज है। जो मौके पर प्रचलित नाला है। आ०नं० 1550 रकबा 0.0728 है० की उतरी मेड पर 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर रकबा 0.0072 है० भूमि बनती है। **उक्त रास्ते की लम्बाई 52 फीट है।**
6. प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी नं0 1552 रकबा 0.1862 है० में पहुंच मार्ग हेतु एक सीधा रास्ता आ०नं० 1560 रकबा 0.5747 है० की उत्तरी मेड पर व आनं 1559/2 रकबा 0.6880 है० की उत्तरी मेड पर दिये जाने हेतु निवेदन किया है। आ०न० 1560 रकबा 0.5747 है० भूमि कचन देवी पत्नी छीतरलाल 1/60 धाकड सा. थडोदा बाकी जमाबन्दी बदस्तूर खातेदार व आराजी नं0 1559/2 रकबा 0.6880 है० भूमि कमली पुत्री जीतमल धाकड सा० देह बाकी जमाबन्दी बदस्तूर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नं0 1560 व 1559/2 में 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर आ0नं0 1560 में 0.0050 है० भूमि व आ०नं0 1559/2 में 0.0252 है. भूमि कुल 0.0302 है० **भूमि बनती है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 217 फीट है।**

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा एतराज/ऑब्जेक्शन का प्रार्थना पत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पुनः स्पष्ट जांच रिपोर्ट के लिए न्यायालय से निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया जो संलग्न पत्रावजी है। तहसीलदार बिजौलियां को पुनः स्पष्ट जांच रिपोर्ट के लिए लिखा गया पत्र संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रेषित की गई जिसके तथ्य निम्नानुसार है:-

श्रीमान् के न्यायालय प्रकरण संख्या 154/2023 (99/21 पुराना) कैलाश पुत्र उंकार धाकड निवासी थडोदा बनाम कमली पुत्री देवीलाल धाकड निवासी थडोदा में अन्तर्गत धारा 251 ए (1) रा०का०अधि० के तहत रिपोर्ट चाही गयी। पालना रिपोर्ट हेतु संयुक्त टीम का गठन किया जाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट ली गयी।

भू०अ०नि० सलावटिया, कांस्या एवं पटवारी हल्का सुखपुरा, बिजौलियां खुर्द द्वारा संयुक्त मौका पर्चा अनुसार प्रकरण संख्या 154/2023 (99/21 पुराना) कैलाश पुत्र उंकार धाकड निवासी थडोदा बनाम कमला पुत्री देवीलाल धाकड निवासी थडोदा के सम्बंध में वादी व प्रतिवादीगणो की उपस्थिति में गठित टीम द्वारा मय राजस्व रेकार्ड के मौका निरीक्षण किया गया।

(1) मौके पर वादी व प्रतिवादीगणो की उपस्थिति में मौका देखा गया। आराजी नं० 1552 पर पहुंचने के लिए गेमु० रास्ता 1539 से प्रतिवादीगण की भूमि आ0नं0 1547 की दक्षिण मेड से रास्ता देने में आ0नं0 1559/2 की पूर्वी मेड 71.20 मी० (मौका अनुसार) एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार मेड 66 मीटर की दूरी पर है। मौके पर रास्ता राजस्व रेकार्ड से भिन्न है। वादीगण द्वारा जो रास्ता आ0नं0 1547 में 15 फीट चौडाई में चाहा गया है। आ०नं0 1559/2 की पूर्वी मेड से प्रार्थीगणो की आराजी में घुमने हेतु 15 फीट यानि 4.59 मी० भूमि की जरूरत होगी। इस प्रकार गेमु० रास्ता आ०नं0 1539 से वादी की आ०नं0 1552 में पहुंचने हेतु राजस्व रेकार्ड अनुसार 70.59 मी० (लगभग 71 मी०) लम्बाई के रास्ते की जरूरत होगी जिसे नजरी नक्शे में 'A' से दर्शाया गया है। आ0नं0 1547 में रास्ता में उपयोग में आने वाली भूमि 0.0324 है० होगी। मौके पर आ0नं0 1547 खेत होकर जोत रखा है। आ0नं0 1547 गोपाल पुत्र देवीलाल 1/3, जीतमल पुत्र देवीलाल 1/3, मांगीलाल पुत्र देवीलाल 1/3 धाकड सा० बडोदा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आ०नं० 1547 स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर है। व NH- SH से 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर है। आ०नं० 1547 किस्म भाल प्रथम है।

(2) प्रतिवादीगणो द्वारा वादीगण की आ०नं0 1552 रकबा 0.1862 है० में पहुंचने हेतु गेमु० रास्ता 1539 से आ०नं. 1560 की उत्तरी मेड व आ०नं0 1559/2 की उत्तरी मेड पर देने आ०नं० 1559/2 की पूर्वी मेड तक गेमु० **रास्ता से दूरी 73 मी० (मौका अनुसार) बनती है।** जबकि राजस्व रेकार्ड अनुसार गेमु० रास्ता से आ०नं0 1559/2 की पूर्वी मेड तक की दूरी 66 मीटर बनती है। रास्ता मौके पर राजस्व रेकार्ड से भिन्न है। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण को **क्षेत्र 'B' में दर्शाये अनुसार 66 मी० लम्बाई** व 15 फीट यानि 4.59 मी० चौडाई कुल क्षेत्रफल 0.0303 है० उपयोग में आयेगी। मौके पर उक्त दोनो आराजीयात् खेत होकर जोत रखे है। उक्त आ०नं0 1560 व 1559/2 स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर हैं एवं NH-SH से 2 कि०मी० से अधिक दूरी पर है। उक्त दोनो आराजीयात् की किस्म माल प्रथम है। आ०नं0 1560 में 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाने पर 0. 0050 है० एवं आ0नं0 1559/2 में 0. 0253 है0 यानि कुल 0.0303 है० भूमि रास्ता के उपयोग में आयेगी। आ०नं0 1560 कंचनदेवी पत्नी छीतरलाल 1/60 धाकड सा० थडोदा बाकी बदस्तूर जमाबन्दी व आ0नं0 1559/2 कमला पुत्री जीतमल 1/6 धाकड सा० देह बाकी बदस्तूर जमाबन्दी दर्ज रेकार्ड है। उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया जाकर उपस्थितान के हस्ताक्षर निशानी लिये गये। वादीगणो ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

120

तहसीलदार बिजौलियां से पुनः प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों को संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया। पत्रावली में विपक्षी अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश हुई जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। लिखित बहस के साथ पेश अन्य दस्तावेजों को भी संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली में उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तसहीलदार बिजौलियां ने रिपोर्ट में 03 वैकल्पिक रास्ते बताऐ जिसमें प्रार्थीगण द्वारा हमसे चाहा गया रास्ता सबसे लम्बा **73 मीटर (मौका अनुसार)** होना जाहिर होता है, इससे प्रतित होता है कि प्रार्थीगण सरल एवं सुगम रास्ते के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र लाए हैं ना कि अत्यन्त आवश्कता के लिए। जबकि धारा 251(अ) में रास्ता अत्यन्त आवश्यकता होने पर सबसे नजदीक का दिया जाने का प्रवधान है साथ ही जो रास्ता सालों से प्रचलित हो जबकि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट में इस कहीं अंकित नहीं किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सालों से प्रचलित हो या सबसे कम दूरी का हो। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रचलित रास्ता है नहीं और वैकल्पिक तीनों रास्तों में सबसे लम्बा रास्ता 73 मीटर (मौका अनुसार) है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्जावेजों का अध्ययन किया गया एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त समस्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया।

–ःआदेशः–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे तहसीलदार बिजौलियां से दोनों बार की रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी संख्या 1547 में से चाहा गया रास्ता तुलनात्मक रूप से **अधिक लम्बा (73 मीटर, मौका अनुसार) है।** जबकि आराजी नम्बर 1559/2 व 1560 की पूर्वी मेड़ से होता हुआ रास्ता सीधा एवं कम **दूरी (66 मीटर) वाला है।** जो की तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा यह रास्ता प्रार्थना पत्र में नहीं चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगणों से चाहा गया रास्ता अन्य रास्तों की अपेक्षा अधिक लम्बा है। धारा 251(अ) के अन्तर्गत रास्ता सरल एवं सुगम प्रार्थीगण के मांगने पर नहीं दिया जा सकता है अतिआवश्यक होने पर सबसे नजदीक वाला रास्ता दिया जा सकता है। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन/मनन करने एवं गुणावगुण व मेरिट के आधार पर न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रार्थी अनावश्यक ही विपक्षीगणों की आराजी 1547 से रास्ते की मांग कर रहे हैं जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ते आपेक्षाकृत सीधे एवं कम दूरी वाले है। साथ ही एक और अन्य वैकल्पिक रास्ता है जो आराजी संख्या 1477 से विपक्षी की आराजी संख्या 1550 **(लम्बाई 16 मीटर)** में से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1552 तक जाता है। आराजी नम्बर 1477 राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गेमु. रास्ता दर्ज है, जो मौके पर प्रचलित नाला है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा यह रास्ता भी प्रार्थना पत्र में नहीं चाहा गया है। तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणों की आराजी 1547 से चाहा गया रास्ता अपेक्षाकृत सबसे लम्बा (73 मीटर मौका अनुसार) एवं घुमावदार है।

अतः न्यायालय प्रार्थीगणों प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज करना उचित समझता है। साथ ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2022 प्रकरण संख्या 99/21 में पारित निर्णय को शून्य घोषित करते हुए पत्रावली को अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11/**09/2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा